उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

कम्पोटार

(सिविल अपील No.1868/2008)

मार्च 10,2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

दुर्घटना-दावा न्यायाधिकरण ने मुआवजा दिया-अपील पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता राज्य सड़क परिवहन निगम को न्यायाधिकरण द्वारा दी गई पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया- न्यायालय ने निर्देश दिया कि राशि का निवेश किया जाए और न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार दावेदार-प्रतिवादी संख्या 1 को भुगतान किया जाए-चुनौती-अभिनिर्धारित-उच्च न्यायालय का आदेश व्यवहारिक रूप से अनुचित था। कोई कारण नहीं बताया गया था कि जमा राशि पर दावेदर को राशि का भुगतान क्यों किया जावे-उच्च न्यायालय को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6% की दर से ब्याज के साथ 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-राज्य सड़क परिवहन निगम को न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित सम्पूर्ण राशि जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि राशि का निवेश किया जाए और ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार दावेदार-प्रतिवादी नंबर 1 को भुगतान किया जाए।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दर्ज किया गया दावा तुच्छ और झूठा था और अपील स्वीकार करते समय, उच्च न्यायालय को पूरी राशि जमा करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था और दावेदार-प्रतिवादी नंबर 1 को जमा राशि का भुगतान किया जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय का आदेश व्यावहारिक रूप से अनुचित है और कोई कारण नहीं बताया गया है कि उच्च न्यायालय को ऐसा क्यों लगा कि राशि जमा होने पर भुगतान दावेदार को किया जाना था। इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले पर फिर से विचार करने और नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 5] [622-बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1868/2008

एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1092/2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 19/4/2007 से।

अपीलकर्ता की ओर से तानिया सिंह एवं रामेश्वर प्रसाद गोयल।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

डॉ० अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/विशेष न्यायाधीश, मथुरा द्वारा 2005 के एमएसीसी नंबर 431 में दी गई पूरी राशि जमा करने

का निर्देश दिया गया था। निर्देश दिया कि राशि का निवेश किया जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार दावेदार-प्रतिवादी नंबर 1 को भुगतान किया जाना चाहिए।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक विस्तृत, तुच्छ और झूठा दावा दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि तथ्यात्मक स्थिति पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि दावे का कोई आधार नहीं है। दुर्घटना कथित तौर पर 24.12.2000 को हुई थी, प्र.सू.रि. 31.5.2001 को दर्ज की गई थी और दिसंबर, 2005 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत मुआवजे का दावा करने वाली एक दावा याचिका दायर की गई थी।

4. इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने 8,11,351/- रुपये मय 6% ब्याज की दर से दावा याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक मुआवजा दिया। अपील स्वीकार करते समय, अपीलकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय को पूरी राशि जमा करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था और दावेदार को जमा राशि का भुगतान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

5. इस मामले में अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है लेकिन हमें लगता है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश व्यावहारिक रूप से अनुचित है और कोई कारण नहीं बताया गया है कि उच्च न्यायालय को क्यों लगा कि राशि जमा होने पर भुगतान दावेदार को किया जाना चाहिए। इसलिए, हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह मामले पर फिर से विचार करे और नया आदेश पारित करे।

6. हमने पक्षकारों को अनावश्यक देरी और असुविधा से बचने के लिए यह आदेश पारित किया है।

7. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

बी.बी.बी. अपील निस्तारित.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंजना अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।